परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	अवसूली/कम वसूली तथा अन्य वसूलियां	37	200.90
2	संभावित गबन तथा दुर्विनियोजन	46	631.28
3	मिलर्ज को अदेय लाभ	5	73.52
4	निधियों का अवरोधन	33	186.15
5	बेकार माल एवं मदों का निपटान न करना	5	7.45
6	विभिन्न कारणों से हानि	55	178.80
7	अनियमित व्यय	15	7.31
8	अन्य अनुच्छेद	48	12.04
	कुल	**244**	**1,297.45**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

31 दिसंबर 2015 को वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2011-12	1	4.3.7
		2013-14	1	3.1
2.	शिक्षा	2011-12	3	4.1.3, 4.3.1, 5.1
		2012-13	1	2.3
		2013-14	3	2.1, 3.3, 3.4 तथा (3.8)
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2011-12	1	4.2.5
		2012-13	1	3.5
4.	गृह (पुलिस)	2011-12	1	3.4
		2013-14	2	3.10, 3.11
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1 (ए)
		2013-14	2	2.2, 3.10
6.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2012-13	1	3.6
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2011-12	1	3.3
8.	सिंचाई	2011-12	3	2.2, 2.3, 4.1.2
		2012-13	2	3.10, 3.11
		2013-14	2	3.13, 3.14
9.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	2	4.2.3, 4.3.5
		2012-13	2	3.13, 3.14
10.	लोक निर्माण विभाग (जन-स्वास्थ्य)	2011-12	5	4.1.1 (बी), 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
		2012-13	2	2.1, 3.12
		2013-14	2	3.15, 3.16
11.	राजस्व	2012-13	1	3.15
		2013-14	1	3.18
12.	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
		2012-13	1	2.4
13.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2013-14	2	2.3, 3.20
14.	आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा)	2012-13	1	3.8
15.	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
		2012-13	1	3.18
		2013-14	2	3.21, 3.22
16.	न्याय प्रशासन	2011-12	1	4.2.2
		2012-13	1	3.7
17.	सामान्य प्रशासन (एच.पी.एस.सी.)	2013-14	1	3.8
18.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	1	2.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
19.	पंचायत विभाग	2011-12	1	3.1
		2012-13	1	3.4
		2013-14	1	3.2
20.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
21.	सहकारिता विभाग	2012-13	1	2.5
22.	नागर विमानन विभाग	2012-13	1	3.1
23.	सिविल सचिवालय	2012-13	2	3.2, 3.3
24.	लोक संपर्क विभाग	2012-13	1	3.9
25.	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
26.	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
27.	वित्त	2013-14	1	3.7
28.	बागवानी	2013-14	1	3.12
29.	नवीकरण ऊर्जा (हरेडा)	2013-14	1	3.17
30.	खेल एवं युवा मामले	2013-14	1	3.19
31.	महिला एवं बाल विकास	2013-14	1	3.23
	कुल अनुच्छेद		**76**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति द्वारा रखे गए डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 मई 2015 को प्रतीक्षित थी, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1	कृषि	2011-12	1	4.3.7
		2013-14	1	3.1
2	गृह (पुलिस तथा जेल)	2012-13	1	3.7
		2013-14	2	3.10, 3.11
3	सिंचाई	2011-12	2	2.2, 2.3 (सिंचाई से संबंधित) 4.1.2
		2012-13	2	3.10, 3.11
		2013-14	2	3.13, 3.14
4	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2011-12	1	4.2.3
		2012-13	1	3.13
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), लो.नि. (भ.व स.), लो.नि. (पी.एच.), सिंचाई के संयुक्त अनुच्छेद	2012-13	1	3.14
5	राजस्व	2012-13	1	3.15
		2013-14	1	3.18
6	परिवहन	2011-12	2	4.2.6, 4.3.6
		2012-13	1	3.18
		2013-14	2	3.21, 3.22
7	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2013-14	2	2.3, 3.20
8	ग्रामीण विकास	2011-12	1	2.4
		2012-13	1	2.4
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2011-12	1	4.1.1(ए)
		2012-13	2	2.1, 3.12
		2013-14	2	2.2, 3.9
10	न्याय प्रशासन विभाग	2011-12	1	4.2.2
11	सामान्य प्रशासन	2013-14	1	3.8
12	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
13	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
14	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
15	शिक्षा	2012-13	1	2.3
		2013-14	3	2.1, 3.3, 3.4 (3.8 का भाग)
16	सहकारिता	2012-13	1	2.5
17	नागर विमानन	2012-13	1	3.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
18	विकास एवं पंचायत	2012-13	1	3.4
		2013-14	1	3.2
19	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	1	3.6
20	आवास बोर्ड हरियाणा	2012-13	1	3.8
21	सूचना, लोक संपर्क तथा सांस्कृतिक मामले	2012-13	1	3.9
22	वित्त	2013-14	1	3.7
23	बागवानी	2013-14	1	3.12
24	खेल एवं युवा मामले	2013-14	1	3.19
25	महिला एवं बाल विकास	2013-14	1	3.23
	कुल		**55**	

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
2.	पशु पालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
		2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.7	44.41
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
7	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.12.13.1	8.25
			1.12.13.3	4.09
8	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेडक्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
9	पी.ई.डी. (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
10	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
11	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
12	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
13	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
	कुल		**28**	**1,13,018.65**

अर्थात् ₹ 1,13 0.19 करोड़

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

31 मई 2015 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना है

क्र. सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	1971–72 से 2009–10 तक लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों की 31 मई 2015 को कुल संख्या
1	9वीं	1971-72	1
2	14वीं	1973-74	1
3	16वीं	1975-76	1
4	18वीं	1976-77	1
5	21वीं	1978-79	1
6	22वीं	1979-80	2
7	23वीं	1979-80	1
8	25वीं	1980-81	3
9	26वीं	1981-82	2
10	28वीं	1982-83	1
11	29वीं	1983-84	2
12	32वीं	1984-85	5
13	34वीं	1985-86	5
14	36वीं	1986-87	7
15	38वीं	1987-88	6
16	40वीं	1988-89	8
17	42वीं	1989-90, 90-91,91-92	4
18	44वीं	1990-91, 91-92,92-93	8
19	46वीं	1993-94	7
20	48वीं	1993-94, 1994-95	3
21	50वीं	1993-94,1994-95, 1995-96	33
22	52वीं	1996-97	15
23	54वीं	1997-98	10
24	56वीं	1998-99	14
25	58वीं	1999-2000	39
26	60वीं	2000-01	35
27	61वीं	2001-02	12
28	62वीं	2002-03	20
29	63वीं	2005-06	25
30	64वीं	2003-04	09
31	65वीं	2004-05	21
32	67वीं	2007-08	37
33	68वीं	2006-07	57
34	70वीं	2008-09	28
35	71वीं	2009-10	31
		कुल	**455**

(स्रोतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 5)

31 अगस्त 2015 को स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13 व 2013-14	दो वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2012-13	2012-13	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	2013-14	-	-	-	-
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2013-14	18 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2013-14	-	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2013-14	तीन वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	-	-	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2013-14	-	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	-	-	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13 से 2013-14	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष, जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2015 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2012-13	-	-	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2013-14	2010-11	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2013-14	पांच वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2011-12	-	2013-14	एक वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2013-14	2011-12	2011-12	-	-

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.6.3 ; पृष्ठ 11)

कम जलापूर्ति वाले गांवों के विवरण

क्र. सं.	मंडल का नाम	मंडल के अधिकार – क्षेत्र के अंतर्गत गांव	जलापूर्ति की न्यूनतम आवश्यकता	निर्धारित जलापूर्ति वाले गांव	कम जलापूर्ति वाले गांव
1	पी.एच.ई.डी. – 1 भिवानी	110	70 एल.पी.सी.डी.	26	84
2	पी.एच.ई.डी. – 2 भिवानी	30	70 एल.पी.सी.डी.	8	22
3	पी.एच.ई.डी. चरखी दादरी	144	70 एल.पी.सी.डी.	30	114
4	पी.एच.ई.डी. तोशाम	140	70 एल.पी.सी.डी.	37	103
5	पी.एच.ई.डी. सिवानी	50	70 एल.पी.सी.डी.	11	39
6	पी.एच.ई.डी. – 1 रेवाड़ी	279	70 एल.पी.सी.डी.	79	200
7	पी.एच.ई.डी. – 1 हिसार	89	70 एल.पी.सी.डी.	64	25
8	पी.एच.ई.डी. – 1 झज्जर	80	70 एल.पी.सी.डी.	1	79
9	पी.एच.ई.डी. पंचकूला	160	55 एल.पी.सी.डी.	142	18
10	पी.एच.ई.डी. अंबाला कैंट	201	55 एल.पी.सी.डी.	159	42
11	पी.एच.ई.डी. महेन्द्रगढ़	101	70 एल.पी.सी.डी.	0	101
12	पी.एच.ई.डी. – 2 झज्जर	67	70 एल.पी.सी.डी.	10	57
13	पी.एच.ई.डी. – 2 हिसार	79	70 एल.पी.सी.डी.	27	52
14	पी.एच.ई.डी. – 2 नारनौल	118	70 एल.पी.सी.डी.	0	118
15	पी.एच.ई.डी. – 1 सिरसा	179	70 एल.पी.सी.डी.	149	30
	कुल	**1,827**		**743**	**1,084**

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.7.1; पृष्ठ 13)

संस्वीकृत अनुमानों के आधिक्य में किए गए व्यय के विवरण

क्र.सं.	मंडल का नाम	मामलों की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2015 तक व्यय	आधिक्य
			(₹ लाख में)		
1	पी.एच.ई.डी. - 1 झज्जर	35	2,933.10	3,887.68	954.58
2	पी.एच.ई.डी. - 2 हिसार	7	442.90	512.10	69.20
3	पी.एच.ई.डी. महेन्द्रगढ़	11	794.45	884.50	90.05
4	पी.एच.ई.डी. - 1 भिवानी	18	273.13	340.58	67.45
5	पी.एच.ई.डी. - 2 झज्जर	9	848.38	971.89	123.51
6	पी.एच.ई.डी. - 2 भिवानी	6	291.30	379.01	87.71
7	पी.एच.ई.डी. तोशाम	23	1,065.67	1,329.59	263.92
8	पी.एच.ई.डी. - 1 नारनौल	33	614.14	797.13	182.99
9	पी.एच.ई.डी. - 3 नारनौल	4	235.90	266.13	30.23
10	पी.एच.ई.डी. - 1 सिरसा	16	573.30	695.38	122.08
	कुल	**162**	**8,072.27**	**10,063.99**	**1,991.72**

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.3 ; पृष्ठ 18)

उन मामलों के विवरण जिनमें स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व क्लीयरेंस तथा भूमि का स्पष्ट स्वामित्व लिए बिना शुरू की गई थी

कार्य का नाम	अनुमोदन तारीख तथा संस्वीकृत राशि	आबंटन की तारीख/पूर्णता की निर्धारित तारीख	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
पी.एच.ई. मंडल सिवानी के अंतर्गत आने वाले गांव गोपालवास में नहर आधारित स्वतंत्र वाटर वर्क्स	टी.एफ.सी. के अंतर्गत ₹ 2.06 करोड़ की लागत पर 30 नवंबर 2012	1 मार्च 2013 / 1 मार्च 2014	1.53	रॉ वाटर के लिए इनलेट चैनल के अलावा स्कीम के सभी घटक पूर्ण किए गए थे, जिसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कीम की रूपरेखा समुचित सर्वेक्षण और वन क्षेत्र में इनलेट चैनल के निर्माण का कार्य निष्पादित करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, चैनल के निर्माण के संबंध में भू-स्वामी के साथ भूमि का विवाद था।
पी.एच.ई. मंडल सं.I, भिवानी के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम कुसुंभी	₹ 1.72 करोड़ की लागत पर 7 मई 2010	19 अक्तूबर 2011 / 19 अक्तूबर 2012	1.18	रॉ वाटर के लिए इनलेट चैनल के अलावा स्कीम के सभी घटक पूर्ण किए गए थे, जिसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कीम की रूपरेखा समुचित सर्वेक्षण और भू-स्वामियों के साथ इनलेट चैनल के निर्माण के कार्य को निष्पादित करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना तैयार की गई थी। ई.ई. ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि जुई फीडर से आऊटलेट चैनल को रॉ वाटर की पंपिंग के लिए एलाईनमेंट बदलकर स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए ₹ 50 लाख का पृथक अनुमान संस्वीकृत किया गया था।
पी.एच.ई. मंडल पंचकूला के अंतर्गत सरकारी महिला पोलीटैक्निक के लिए जल आपूर्ति सुविधाएं	₹ 2.26 करोड़ तक संशोधित की गई ₹ 1.47 करोड़ की लागत पर 20 दिसंबर 2012	मार्च 2013 / ₹ 1.53 करोड़ की लागत पर 12 माह	0.36	वन विभाग से क्लीयरेंस लेने में विलंब के कारण कार्य की पूर्णता में देरी हो गई जिसके लिए 9 नवंबर 2013 को ₹ 22.50 लाख की राशि जमा करवाई गई थी और अनुमति 2 अगस्त 2014 को प्रदान की गई और फिर भी दिसंबर 2015 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार कार्य वन विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना लिया गया।
पी.एच.ई. मंडल सं. II, कैथल के अंतर्गत तीन गांवों के कैलराम ग्रुप के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का आरंभ	₹ 1.20 करोड़, ₹ 0.94 करोड़ तथा ₹ 0.75 करोड़ के तीन अनुमान	कार्य फरवरी 2006 में आरंभ किया गया था तथा दिसंबर 2015 को अपूर्ण रहा	3.11	कार्य की पूर्णता में विलंब वन क्षेत्र में आर.सी.सी. पाईपें बिछाने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त न करने के कारण हुआ था। आगे, आर.सी.सी. पाईप चैनल के एलाइनमेंट के साथ सड़क चौड़ी करने के कारण बी. एंड आर. प्राधिकरण ने इनलेट चैनल के निर्माण की अनुमति नहीं दी। क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी भूमि स्तर के ऊपर आर.सी.सी. पाईप चैनल के निर्माण के लिए विरोध प्रकट किया था। सिंचाई विभाग से माइनर से रॉ वाटर के लिए आऊटलेट के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने संबंधित विभागों से क्लीयरेंस लिए बिना कार्य का निष्पादन ले लिया था।
पी.एच.ई. मंडल सं. I, नारनौल के अंतर्गत दो गांवों के कोजिंदा ग्रुप के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम का आरंभ	₹ 1.61 करोड़ अक्तूबर 2012	22 अगस्त 2013 / 21 अगस्त 2014	1.32	एजेंसी को कार्य भूमि के अधिग्रहण के बिना आबंटित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.ई. ने कार्य पर ₹ 1.32 करोड़ (2013-14 में डी.आई. पाईपों पर ₹ 1.07 करोड़ और 2013-15 में विभिन्न कार्यों जैसे पुराने विद्यमान बूस्टिंग स्टेशन पर गैस क्लोरिनेटर का प्रस्थापन, पुरानी पाईप लाइन के परिवर्तन/रख-रखाव और पुराने वाटर वर्क्स पर ट्यूबवैल की मशीनरी का परिवर्तन/स्थानीय खरीद) का व्यय दिखाया था।
		कुल	7.50	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.5; पृष्ठ 20)

विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब के मामलों के विवरण

पी.एच.ई. मंडल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1. कैथल-1	गांव धुंधेड़ी की नहर आधारित स्वतंत्र जल आपूर्ति स्कीम	मई 2010/ ₹ 0.83 करोड	0.74	एक एजेंसी को ₹ 79.61 लाख के लिए 12 महीनों की पूर्णता समयावधि के साथ कार्य आबंटित किया गया (6 सितंबर 2010)/एजेंसी को निष्पादित कार्य के लिए ₹ 40.97 लाख की राशि का भुगतान किया गया (11 दिसंबर 2012)/31 जनवरी 2012 तक समय की वृद्धि के बावजूद, एजेंसी वर्धित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल रही। इसलिए, ठेका अनुबंध की धारा-II के अंतर्गत एजेंसी के विरूद्ध मई 2013 में कार्रवाई की गई और शेष कार्य (फरवरी 2014) में ₹ 40.83 लाख के लिए एक अन्य ठेकेदार को जोखिम और लागत आधार पर छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित कर दिया गया। दूसरी एजेंसी ने भी सितंबर 2014 में ठेका अनुबंध की धारा-II के अंतर्गत कार्रवाई करने के बाद भी कार्य आरंभ नहीं किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एजेंसी से कार्य वापस लेने और उसे किसी अन्य एजेंसी से करवाने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
2. झज्जर-3	गांव झारली के लिए स्वतंत्र वाटर वर्क्स प्रदान करना	अगस्त 2010/ ₹ 1.91 करोड	1.86	एक एजेंसी (15 फरवरी 2008) को (₹ 59 लाख के लिए नौ मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया। तदनंतर, ठेका अनुबंध की धारा-II के अनुसार जुर्माना लगाया गया (8 अप्रैल 2009)। इसी बीच कुछ कमियां जिनके कारण कार्य का घटिया निष्पादन हुआ देखा गया। लेकिन एजेंसी ने न तो इस कमियों का परिशोधन किया और न ही कार्य पुनः प्रारंभ किया। एजेंसी से कार्य एजेंसी के जोखिम और लागत पर निष्पादित करवाने के लिए वापस ले लिया गया (मार्च 2015)। तथापि, किसी अन्य एजेंसी से कार्य निष्पादित करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई (मई 2015)।
3. नारनौल-3	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम पोटा	फरवरी 2009/ ₹ 1.13 करोड	0.63	पी.एच.ई. डिवीजन महेन्द्रगढ़ द्वारा 10 मास की पूर्णता अवधि के साथ एक एजेंसी को ₹ 76.32 लाख के लिए कार्य आबंटित किया गया (29 जुलाई 2009), सितंबर 2013 तक ₹ 63.40 लाख का व्यय कर दिया गया। तत्पश्चात, आगामी निष्पादन के लिए कार्य पी.एच.ई. डिवीजन नं. 3, नारनौल को स्थानान्तरित कर दिया गया। परन्तु कार्य ठेकेदार द्वारा सितंबर 2013 के बाद निष्पादित नहीं किया गया। विभाग ने ठेका अनुबंध की धारा-II के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध जुर्माना लगा दिया, परंतु कार्य एजेंसी से वापस लेकर इसे अन्य एजेंसी से जोखिम और लागत आधार पर करवाने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। कार्य लगभग दो वर्षों के लिए परित्यक्त पड़ा रहा। उत्तर में, ई.ई. ने सूचित किया (मई 2015) कि विभाग इस कार्य के जोखिम और लागत आधार पर करवाने पर विचार कर रहा था।

पी.एच.ई. मंडल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
4. नारनौल-1	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम गुलावाला	सितंबर 2012/ ₹ 4.05 करोड	1.81	कार्य (अगस्त 2013) में एक ठेकेदार को ₹ 01.47 करोड़ के लिए 12 मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने पंप हाऊस और इनलेट चैनल के निर्माण के अलावा कार्य जून 2014 में पूर्ण कर दिया। विभाग ने नई तकनीक के साथ इनलेट चैनल के लिए 300 एम.एम. डी.आई. पाईप बिछाने के कार्य के निष्पादन के साथ डी.एन.आई.टी. का मूल कार्य परिवर्तित कर दिया जिसमें 400 एम.एम., आर.सी.सी. पाईप बिछाई जानी थी। परंतु ठेकेदार ने नई तकनीक का कार्य निष्पादित करने से मना कर दिया। इनलेट चैनल बिछाने के शेष कार्य के लिए निविदा अप्रैल 2015 तक आमंत्रित नहीं किए गए थे।
5. नारनौल-1	मेहरामपुर समूह के तीन गांवों के लिए जल आपूर्ति	फरवरी 2009/ ₹ 1.34 करोड	1.24	कार्य एक ठेकेदार को (2 दिसंबर 2010) ₹ 68.31 लाख के लिए छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। इस एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। तत्पश्चात् ठेका अनुबंध की धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के बाद कार्य वापस ले लया गया। कार्य के दुबारा निविदा भेजे गए और ₹ 81.29 लाख के लिए एक एजेंसी को (अगस्त 2012) छः मास की समय सीमा के भीतर आबंटित किया गया। एजेंसी ने कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किया। निष्पादित कार्य के लिए एजेंसी को (4 दिसंबर 2013) ₹ 89.10 लाख की राशि का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् एजेंसी ने कार्य छोड़ दिया। एजेंसी से कार्य खंड-II और III के अंतर्गत कार्रवाई करने के पश्चात् वापस ले लिया गया। ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किसी अन्य एजेंसी से पूर्ण करवाने के लिए कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
6. रेवाड़ी-1	नहर आधारित जल आपूर्ति स्कीम नयागांव तथा हजारीवास	मई 2011/ ₹ 2.40 करोड	1.94	कार्य एक एजेंसी (दिसंबर 2011) को ₹ 53.44 लाख के लिए छः मास की पूर्णता अवधि के साथ आबंटित किया गया। एजेंसी ने कार्य 2012-13 में छोड़ दिया। खंड-II लगाया गया (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई.ई. ने शेष कार्य को जोखिम और लागत आधार पर अन्य एजेंसी से निष्पादित करवाने के लिए ठेका अनुबंध की धारा-III के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।
7. महेंद्रगढ़	जल आपूर्ति स्कीम अकोदा का आरंभ	अगस्त 2009/ ₹ 1.92 करोड	1.11	कार्य (जनवरी 2010) एक एजेंसी को ₹ 1.03 करोड़ की अनुमानित लागत पर जुलाई 2011 तक पूर्ण करने के लिए आबंटित किया गया। एजेंसी को किए गए कार्य के लिए ₹ 46.98 लाख का अनुमान किया गया (नवंबर 2013) एजेंसी द्वारा आगे कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। ठेका अनुबंध की धारा-II के अन्तर्गत 18 जुलाई 2014 को जुर्माना लगाया गया परंतु एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। तत्पश्चात् इसे जोखिम और लागत आधार पर किसी अन्य एजेंसी से निष्पादित करवाने के लिए अनुबंध के अंतर्गत खंड-III लगाया गया (अगस्त 2014) शेष कार्य पूर्ण करवाने के लिए कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई (अप्रैल 2015)।
8. नं.3 नारनौल	पथेड़ा समूह के गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम	अगस्त 2009/ ₹ 1.88 करोड़	1.66	कार्य (18 जनवरी 2010) एक एजेंसी को पी.एच.ई. डिवीजन महेन्द्रगढ़ द्वारा 18 मास की पूर्णता अवधि के साथ ₹ 92.19 लाख के लिए आबंटित किया गया। कार्य पी.एच.ई. डिवीजन ने 3 नारनौल को स्थानान्तरित कर दिया गया (सितंबर 2013) परन्तु एजेंसी सिंचाई माईनर से वाटर वर्क्स इनलेट चैनल के निर्माण से संबंधित कार्य निष्पादित नहीं किया। विभाग ने अनुबंध की धाराओं के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
		कुल	**10.99**	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः अनुच्छेद 2.1.8.8(क); पृष्ठ 22)

जल संसाधनों की कायमता के लिए प्रदान की गई निधियों के विपथन के विवरण

कार्य का नाम	अनुमोदन की तारीख तथा संस्वीकृत राशि	मार्च 2015 को व्यय (₹ करोड़ में)	स्थिति
वाटर वर्क्स के निर्माण, पाईपों की खरीद, इनलेट चैनल इत्यादि के लिए मेन तैयार करना, सेहलंगा, ढालनवास और झामरी गांवों में ग्रामीण जलापूति के लिए और पी.एच.ई. डिवीजन-I झज्जर के अंतर्गत अन्य आकस्मिक कार्यों के लिए एक अनुमान।	02 मार्च 2013 / ₹ 9.58 करोड़	3.56	प्रगति में
रॉ वाटर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए सात ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों और पी.एच.ई. डिवीजन चरखी दादरी के अंतर्गत पंपिंग स्टेशनों इत्यादि के निर्माण के लिए सात अनुमान।	मई 2012 से मार्च 2013 / ₹ 23.57 करोड़	11.31	प्रगति में
पी.एच.ई. डिवीजन-I सिरसा के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टंकियों के निर्माण के लिए पांच अनुमान।	26 जुलाई 2010 / ₹ 0.74 करोड़	0.76	कार्य पूर्ण किया गया
पी.एच.ई. डिवीजन-II सिरसा के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टैकों के निर्माण के लिए तीन आर.डब्ल्यू.एस. स्कीमों के लिए तीन अनुमान।	26 जुलाई 2010 से 28 फरवरी 2012 / ₹ 0.52 करोड़	0.52	कार्य पूर्ण किया गया
पी.एस.ई. डिवीजन फतेहाबाद के अंतर्गत अतिरिक्त एस.एस. टैकों के निर्माण के लिए पांच आर.डब्ल्यू.एस. स्कीमों के लिए पांच अनुमान संस्वीकृत किए गए।	मई 2011 से सितंबर 2012 / ₹ 1.44 करोड़	1.32	कार्य पूर्ण किया गया
कुल	**₹ 35.85 करोड़**	**17.47**	

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.6; पृष्ठ 34)

सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या

वर्ष	सरकारी स्कूलों की संख्या			सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या		
	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम.[1] के अनुसार	अंतर	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर
2010-11	14,779	14,927	148	316	378	62
2011-12	15,014	14,735	279	325	378	53
2012-13	14,925	14,892	33	450	315	135
2013-14	14,902	15,013	111	229	173	56
2014-15	14,582	14,380	202	229	272	43

स्रोतः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (एच.एस.एस.पी.पी.) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन

वर्ष	सरकारी स्कूलों की संख्या			सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या		
	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर	एस.एस.ए. के अनुसार	एम.डी.एम. के अनुसार	अंतर
2010-11	20,28,055	उपलब्ध नहीं*	-	86,401	उपलब्ध नहीं*	-
2011-12	21,15,588	21,17,808	2,220	79,599	55,868	23,731
2012-13	20,71,283	20,81,760	10,477	68,678	46,911	21,767
2013-14	20,36,864	19,78,128	58,736	65,625	47,133	18,492
2014-15	19,58,029	20,08,285	50,256	61,742	48,976	12,766

स्रोतः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा एस.एस.ए. के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (एच.एस.एस.पी.पी.) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

नोटः * उपलब्ध नहीं।

[1] स्थानीय निकाय स्कूलों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को छोड़कर।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.2; पृष्ठ 39)

राज्य में आबंटित तथा उठाए गए खाद्यान्नों के विवरण

(आंकड़े एम.टी. में)

वर्ष	आबंटित खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उठान की प्रतिशतता	कमी
2010-11	53,806.61	29,893.90	56	44
2011-12	54,333.09	42,776.07	79	21
2012-13	60,413.37	45,986.38	76	24
2013-14	59,057.35	43,848.86	74	26
2014-15	55,786.34	37,954.50	68	32
	2,83,396.76	**2,00,459.71**		

स्रोतः परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) तथा भारत सरकार को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (डी.ई.ई.) द्वारा भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें (क्यू.पी.आर.)/उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सीज)।

चयनित जिलों में खाद्यान्नों के आबंटन तथा उठान के विवरण

(आंकड़े एम.टी. में)

जिला का नाम	अवधि	आबंटित खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	उठान की प्रतिशतता	कमी
भिवानी	2010-15	19,083.84	12,855.40	67	33
हिसार	2012-15*	10,193.09	8,011.07	79	21
करनाल	2010-15	14,608.89	11,680.97	80	20
कुरूक्षेत्र	2011-15**	10,122.80	7,610.96	75	25
रेवाड़ी	2010-15	8,842.82	6,131.18	69	31
सिरसा	2010-15	17,971.09	13,216.99	74	26

नोटः * 2010-11 से 2011-12 की अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं।

** 2010-11 की अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं।

स्रोतः चयनित जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ई.ओज) द्वारा प्रस्तुत डाटा।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.8.2; पृष्ठ 39)

चयनित स्कूलों में खाद्यान्नों की आवश्यकता तथा वास्तविक प्राप्ति

जिला	स्कूलों की संख्या	आवश्यकता	वास्तविक प्राप्ति	कम प्राप्ति	कम प्राप्ति की प्रतिशतता
		(क्विंटल में)			
भिवानी	30	5,895	4,107	1,788	30
हिसार	30	6,014	3,732	2,282	38
करनाल	30	6,163	4,251	1,912	31
कुरूक्षेत्र	06	968	765	203	21
रेवाड़ी	30	3,371	2,518	853	25
सिरसा	30	6,122	4,417	1,705	28

स्रोतः चयनित स्कूलों के अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2.10.1; पृष्ठ 48)

विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

वर्ष	स्कूलों/केंद्रों की कुल संख्या	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	वास्तव में निरीक्षण किए गए स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूलों/ केंद्रों की प्रतिशतता
2010-11	15,434	35,250[2]	1,050	3
2011-12	15,596	35,250	4,386	12
2012-13	15,466	35,250	5,693	16
2013-14	15,305	35,250	4,568	13
2014-15	14,714	35,250	3,126	9

स्रोतः एम.एच.आर.डी. को भेजी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार डाटा।

चयनित जिलों के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

जिला का नाम	अवधि	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूल/केंद्र	निरीक्षण की प्रतिशतता
भिवानी	2013-15*	500	120	24
हिसार	2010-15	1,250	475	38
करनाल	2010-15	1,250	304	24
कुरूक्षेत्र	2012-15**	750	142	19
रेवाड़ी	2010-15	1,250	312	25
सिरसा	2014-15***	250	129	52

नोटः * 2010 – 13 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

** 2010 – 12 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

*** 2010 – 14 की अवधि का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

चयनित ब्लॉकों के खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण

जिला का नाम	अवधि	निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों/केंद्रों की संख्या	निरीक्षण किए गए स्कूल/केंद्र	निरीक्षण की प्रतिशतता
भिवानी	2010-15	5,000	928	19
हिसार	2010-15	5,000	395	08
करनाल	2010-15	5,000	322	06
कुरूक्षेत्र	2010-15	5,000	646	13
रेवाड़ी	2010-15	5,000	568	11
सिरसा	2010-15	5,000	488	10

स्रोतः चयनित डी.ई.ई.ओ. तथा बी.ई.ओ. द्वारा प्रदान किया गया डाटा।

---

[2] क. राज्य स्तरः एक माह में निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों की संख्या X 10 माह = 25 X 10=250

ख. डी.ई.ई.ओ. स्तरः डी.ई.ई.ओ. की संख्या X एक माह में निरीक्षण किए जाने वाले स्कूलों की संख्या X 10 माह = 21 X 25 X 10 =5,250

ग. बी.ई.ओ. स्तरः बी.ई.ओ. की संख्या X स्कूलों की संख्या X 10 माह = 25 X 119 X 10=29,750

क + ख + ग = 250 + 5,250 + 29,750 = 35,250

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

राज्य में प्राईवेट कालेजों के विवरण

क्र.सं.	संस्थानों/कालेजों की किस्म	नोडल एजेंसी/विभाग	संस्थानों की संख्या
प्राईवेट कालेज			
1	लॉ	एच.ई.	14
2	डिग्री		76
3	बी.एड.	एच.ई./एन.सी.टी.ई.	619
4	मैडीकल	एम.सी.आई.[3]/एम.ई.आर.	10
5	डैंटल	डी.सी.आई [4]/एम.ई.आर	13
6	फिजियोथरैपी एवं होम्योपैथी	आई.ए.पी./सी.सी.एच. [5] तथा एम.ई.आर	9
7	आयुर्वेदिक	सी.सी.आई.एम.[6]/एम.ई.आर.	8
8	नर्सिंग	आई.एन.सी./एच.एन.सी. [7] तथा एम.ई.आर	59
9	फार्मेसी	ए.आई.सी.टी.ई./टी.ई.	27
10	बी.टेक		152
11	बी.आर्किटेक्ट		13
12	बी.एच.एम.		5
13	एम.बी.ए.		161
14	एम.सी.ए.		47
		कुल	**1,213**
प्राईवेट यूनिवर्सिटी			
1	पी.यू.ज	एच.ई.	18

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

3 मैडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया।

4 डेंटल काऊंसिल ऑफ इंडिया।

5 इंडियन एशोसियेशन ऑफ फीजियोथैरेपी, तथा सैंट्रल काऊंसिल ऑफ होम्योपैथी।

6 सैंट्रल काऊंसिल ऑफ इंडिया मैडीसिन।

7 इंडियन नर्सिंग काऊंसिल तथा हरियाणा नर्सिंग काऊंसिल।

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 53)

नमूना – जांच किए गए प्राईवेट कालेज दर्शाने वाली विवरणी

यूनिवर्सिटी का नाम	सी.डी.एल.यू., सिरसा		जी.जे.यू., हिसार		के.यू., कुरूक्षेत्र		एम.डी.यू., रोहतक		पं. बी.डी. शर्मा यू.एच.एस., रोहतक		कुल	चयनित
कालेजों के प्रकार	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**	**कुल**	**चयनित**		
डिग्री	7	2	-	-	22	2	25	3	-	-	54	7
बी.एड	28	9	-	-	164	5	286	17	-	-	478	31
लॉ	1	1	-	-	4	1	7	2	-	-	12	4
टेक्नीकल (इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए., होटल मैनेजमैंट तथा आर्किटैक्ट)	-	-	14	7	87	5	110*	8	-	-	211	20
मैडीकल/पैरा-मैडीकल	-	-	-	-	-	-	-	-	77	15	77	15
सकल योग	**36**	**12**	**14**	**7**	**277**	**13**	**428**	**30**	**77**	**15**	**832**	**77**
प्राईवेट यूनिवर्सिटी	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**5[8]**
* सरकारी तथा सहायताप्राप्त प्राईवेट कालेज सहित।												

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

[8] (i) अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, (ii) एन.आई.आई.एल.एम. यूनिवर्सिटी, कैथल, (iii) बी.एम.एल. मुंजाल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, (iv) एम.वी.एन. यूनिवर्सिटी, पलवल तथा (v) आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गांव।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.6.2; पृष्ठ 56)
कमियों की अनुपालना के बिना एफिलिएटिड कालेजों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सत्र	कमियां
		एम.डी.यू.	
1.	मिनाक्षी कालेज ऑफ एजुकेशन, मोहना रोड़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2008-09 से 2014-15	1. अपेक्षित भूमि, वाशरूम तथा अन्य मूलभूत संरचना जैसे विकलांगों के लिए रिसोर्स रूम, प्ले-ग्राऊंड सुविधाओं इत्यादि की अनुपलब्धता। 2. कार्यालय, तीन क्लासरूम तथा अन्य कमरों जैसे लाईब्रेरी (कम पुस्तकों वाली) तथा मल्टीपर्पज हाल इत्यादि का अपर्याप्त आकार। 3. प्रयोजन को पूरा न करने वाली बहुत छोटे आकार की प्रयोगशालाएं। 4. पुराने कंप्यूटर। 5. सुरक्षित पेयजल इत्यादि का प्रावधान न होना।
2.	आई.पी.आई. कालेज ऑफ एजुकेशन, वी.पी.ओ.-इसमाईला, जिला रोहतक	2008-09 से 2014-15	1. अपेक्षित मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता। 2. यूनिवर्सिटी अनुमोदित अर्हताप्राप्त फेकल्टी की अनुपलब्धता। 3. सहायक स्टॉफ की अनुपलब्धता। 4. पूर्णतः सुसज्जित तथा उचित रूप से तैयार की गई प्रयोगशालाओं और लाईब्रेरी इत्यादि की अनुपलब्धता।
3.	आई.बी. कालेज ऑफ एजुकेशन, राम गोपाल कलोनी, नजदीक सैक्टर-1 टेलीफोन एक्सचेंज, रोहतक	2008-09 से 2014-15	
4.	आई.पी.एस. कालेज ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड टैक्नोलोजी, नेहरू कलोनी, रोहतक	2007-08 से 2014-15	
5.	आई.पी.एस. स्कूल ऑफ मनेजमैंट, जींद बाई पास, नेहरू कलोनी, रोहतक	2008-09 से 2014-15	
6.	आई.पी. कालेज ऑफ एजुकेशन, वी.पी.ओ.-जसीया, जिला रोहतक	2009-10 से 2014-15	
7.	इंद्रप्रस्थ कालेज ऑफ एजुकेशन, निकट पावर हाऊस, जींद बाई पास, रोहतक	2009-10 से 2014-15	
8.	मानव रचना कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, सैक्टर-43, फरीदाबाद	2008-09 से 2014-15	1. सीनियर फेकल्टी (विशेष रूप से प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर) की कमी। 2. प्रयोगशालाओं की कमी।
		कुरूक्षेत्र	
9.	आर्य कन्या महाविद्यालय, मोर माजरा, करनाल	2010-11 से 2014-15	1. अधिक नियमित टीचिंग स्टाफ, नियमित प्रिंसीपल तथा सहायक स्टॉफ की भर्ती की आवश्यकता। 2. अधिक कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता
10.	एस.बी. इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलजी, फतेहपुर पूंडरी, कैथल	2008-09 से 2014-15	1. यूनिवर्सिटी अनुमोदित प्रिंसीपल तथा फेकल्टी की अनुपलब्धता। 2. पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता। 3. अपेक्षित नॉन-टीचिंग स्टॉफ की अनुपलब्धता।
11.	मानव कालेज ऑफ एजुकेशन, जेवरा, बरवाला रोड़, हिसार	2010-11 से 2014-15	1. पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाएं नहीं। 2. लाईब्रेरी में अधिक पुस्तकों की आवश्यकता।
		जी.जे.यू.	
12.	मानव कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, जेवरा, बरवाला रोड़, हिसार	2010-11 से 2014-15	1. यूनिवर्सिटी अनुमोदित प्रिंसीपल तथा फेकल्टी की अनुपलब्धता। 2. पूर्णतः सुसज्जित तथा उचित रूप से तैयार की गई प्रयोगशालाओं और लाईब्रेरी इत्यादि की अनुपलब्धता। 3. अपेक्षित मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता।

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.6.1; पृष्ठ 84, 85)

दिए गए धान, देय सी.एम.आर., सुपुर्द सी.एम.आर. तथा एफ.एस.डी. में मिलर्ज से प्राप्त न किए गए शेष चावल के विवरण

क्र. सं.	वर्ष	मिलर का नाम	आबंटित किया जाने वाला धान	वास्तविक आबंटित धान	आबंटित अधिक/कम धान	देय सी.एम. आर.	सुपुर्द सी. एम. आर.	लंबित सी.एम. आर.	भौतिक सत्यापन में पाया गया सी.एम. आर.	सी.एम. आर. में कमी	लंबित सी.एम. आर. का मूल्य	लंबित सी.एम. आर. के मूल्य की पेनल्टी	अंतिम विस्तारण से महीनों की संख्या	सितंबर 2015 तक वसूलनीय ब्याज	कुल वसूलनीय राशि
			(एम.टी. में)								(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुरूक्षेत्र															
1	2011-12	अंकित ट्रेडिंग कंपनी पेहोवा	3000	5727	2727	3837	2889	948	0	948	185.3	92.65	30	81.65	359.6
2	2012-13	चहल राईस मिल पेहोवा	4000	6425	2425	4305	2695	1610	0	1610	358.02	179.01	20	105.17	642.19
3	2013-14	श्री शक्ति राईस एंड जनरल मिल खिजरपुर	5000	8344	3344	5590	2511	3079	1386	1693	729.01	72.9	12	94.22	896.14
4	2013-14	श्री बालाजी राईस मिल शाहबाद	3000	4218	1218	2826	1971	855	359	496	202.44	20.24	12	26.17	248.85
5	2013-14	श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी लाडवा	3000	5109	2109	3423	2214	1209	1118	91	286.25	28.63	12	37	351.88
फतेहाबाद															
6	2013-14	ताराचंद राईस मिल आयलकी	3000	4993	1993	3345	2265	1080	0	1080	255.71	25.57	12	33.05	314.33
7	2013-14	गर्ग राईस मिल कलोथा	4000	3603	-397	2414	1955	459	0	459	108.68	10.87	12	14.05	133.59
करनाल															
8	2013-14	आशीर्वाद फूडस करनाल	6000	5277	-723	3536	1347	2189	6	2183	518.05	51.81	12	66.96	636.81
9	2013-14	मारूती राईस मिल	4000	2519	-1481	1688	485	1203	600	603	284.83	28.48	12	36.81	350.13
10	2013-14	राजश्री राईस मिल	5000	9185	4185	6154	804	5350	0	5350	1266.71	126.67	12	163.72	1557.11
11	2013-14	एस.के. राईस ट्रेडर्स	3000	4551	1551	3049	1106	1943	0	1943	460.28	46.03	12	59.49	565.8

क्र. सं.	वर्ष	मिलर का नाम	आबंटित किया जाने वाला धान	वास्तविक आबंटित धान	आबंटित अधिक / कम धान	देय सी.एम.आर.	सुपुर्द सी.एम.आर.	लंबित सी.एम.आर.	भौतिक सत्यापन में पाया गया सी.एम.आर.	सी.एम.आर. में कमी	लंबित सी.एम.आर. का मूल्य	लंबित सी.एम.आर. के मूल्य की पेनल्टी	अंतिम विस्तारण से महीनों की संख्या	सितंबर 2015 तक वसूलनीय ब्याज	कुल वसूलनीय राशि
			(एम.टी. में)								(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2013-14	सुनील कुमार अमित कुमार करनाल	3000	5292	2292	3546	2208	1338	1200	138	316.8	31.68	12	40.95	389.42
13	2013-14	महा लक्ष्मी राईस मिल, तरावड़ी	6000	2972	-3028	1991	700	1291	878	413	305.67	30.57	12	39.51	375.74
14	2013-14	ए.आर. एग्रो	5000	4032	-968	2701	0	2701	147	2554	639.51	63.95	12	82.66	786.12
15	2013-14	गणपति एग्रो फूडस	6000	5564	-436	3728	2695	1033	0	1033	244.58	24.46	12	31.61	300.65
16	2013-14	एल. आर. इंटरनैशनल	6000	4540	-1460	3042	2244	798	0	798	188.94	18.89	12	24.42	232.26
17	2013-14	महादेव खल एंड ऑयल मिल	5000	1812	-3188	1214	377	837	167	670	198.18	19.82	12	25.61	243.61
18	2013-14	हरि ओम राईस मिल, असंध	6000	8186	2186	5485	4929	556	306	250	131.64	13.16	12	17.01	161.82
19	2013-14	श्री साई राईस मिल, असंध	6000	4103	-1897	2749	2533	216	0	216	51.14	5.11	12	6.61	62.87
20	2013-14	तनिष्क फूड राईस मिल	3000	9909	6909	6639	2911	3728	0	3728	882.67	88.27	12	114.09	1085.03
21	2013-14	शिव शंकर राईस मिल	5000	7751	2751	5193	1078	4115	0	4115	974.3	97.43	12	125.93	1197.66
22	2013-14	श्री कृष्ण कृपा फूड, घरौंडा	6000	5360	-640	3591	2076	1515	1385	130	358.71	35.87	12	46.36	440.94
								यमुना नगर							
23	2013-14	जय बाला सुंदरी राईस मिल	5000	4081	-919	2734	1995	739	270	469	174.97	17.5	12	22.62	215.08
	कुल		**105000**	**123553**	**18553**	**82780**	**43988**	**38792**	**7822**	**30970**	**9122.39**			**1295.67**	**11547.63**

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।

अधिक आबंटित धान: 12 मामले: 33,690 एम.टी. (क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,10,11,12,18,20,21)

कम आबंटित धान: 11 मामले: 15,137 एम.टी. (क्रम संख्या 7,8,9,13,14,15,16,17,19,22,23)

निवल अधिक आबंटित: 18,553 एम.टी.

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.1; पृष्ठ 114)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वहीन/कोई प्रगति नहीं थी

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या तथा अनुच्छेद का शीर्षक	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.9.1 दादूपुर–नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय	➢ माईनरों का निर्माण नहीं किया गया। ➢ रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं लिया। ➢ निष्फल व्यय के लिए उत्तर दायित्व नियत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2.	2.2.10.1 नहरों की क्षमता बढ़ाने/रिमॉडलिंग पर व्यय	➢ पांच नहरों का सिंचित क्षेत्र 2007-08 से 2014-15 तक घट गया तथा सभी नौ नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 13 प्रतिशत तक कम हो गया। ➢ सिंचित क्षेत्र में वृद्धि मात्र चार प्रतिशत तक हुई (2012-13 में 44,005 एकड़ से 2014-15 में 45,916 एकड़)। ➢ मामले की जांच तथा कारणों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
3.	2.2.10.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग न करना	➢ मनरेगा निधियों का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा फील्ड कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।
4.	2.2.11.2 जाली/अनुचित निष्पादन गारंटी का प्रस्तुतिकरण	➢ विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मामला नहीं उठाया। ➢ विभाग ने बैंक गारंटियों की सत्यता का सत्यापन करने की प्रणाली स्थापित नहीं की है।
5.	2.2.13.2 भारी स्थापना प्रभारों वाले निर्माण मंडल	➢ तार्किक ढंग से मानव शक्ति का उपयोग करने की प्रणाली स्थापित नहीं की गई।
6.	2.2.14.1 स्टॉफ तथा अन्य के विरूद्ध एम.पी.डब्ल्यू.ए. में पड़ी राशि की अवसूली/असमायोजन	➢ एम.पी.डब्ल्यू.ए. की वसूली/समायोजन के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
7.	2.2.14.3 श्रम कल्याण बोर्ड के पास लेबर सैस जमा न करना	➢ समयबद्ध ढंग से राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
8.	2.2.14.4 भू–माुआवजे के भुगतान करते समय गंभीरता की कमी	➢ प्रणाली सुधार के माध्यम से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.2; पृष्ठ 115)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां महत्वपूर्ण कार्यान्वयन/प्रगति थी

क्र. सं.	अनुच्छेद का सार	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.7 (ii) आयोजना	➢ 2012-15 की अवधि के दौरान 19 कार्यों में से सात कार्य पूर्ण किए गए तथा चार कार्य प्रगति में थे जबकि चार कार्य छोड़ दिए गए थे। ➢ राज्य सरकार तथा घग्गर कमेटी से क्लीयरेंस प्राप्त न करने के कारण चार कार्य[1] नहीं लिए गए। ➢ मध्यम सिंचाई स्कीम 'कौशल्या डैम' क्रियाशील की गई। ➢ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक मामले के कारण भाखड़ा मेन लाईन-हांसी बुटाना ब्रांच (मुख्य सिंचाई) की मूलभूत संरचना अप्रयुक्त पड़ी रही।
2.	2.2.8.2 बाढ़ के लिए केंद्रीय सहायता	➢ राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। ➢ मामला अभी तक केंद्रीय जल आयोग के पास लंबित पड़ा है (जुलाई 2015)।
3.	2.2.8.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	➢ मामला भारत सरकार के साथ अनुसरित किया गया तथा जनवरी 2015 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को पुनः प्रस्तुत किया गया। ➢ ₹ 16.82 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा मई 2015 को लंबित पड़ा था।
4.	2.2.8.4 अन्य राज्यों से हिस्से की प्राप्ति न होना	➢ दिल्ली सरकार से ₹ 10.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त की गई। ➢ अन्य सदस्य राज्यों से हिस्से के रूप में ₹ 111.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं की गई। ➢ राजस्थान राज्य ने जल आबंटन के हिस्से के लंबित मामले के कारण राशि जमा नहीं की तथा उत्तर प्रदेश ने ओखला बैराज के रख-रखाव तथा आधुनिकीकरण सहित हरियाणा के साथ लंबित सिंचाई राजस्व भुगतान के साथ राशि समायोजन करने के लिए कहा।
5.	2.2.9.2 जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम मरम्मत तथा रख-रखाव पर निष्फल व्यय	➢ अधिकतर चालू अवधि के दौरान टेल भर जाती तथा 11 गांवों में 13 तलाब नहरी पानी से भर जाते। ➢ नहरी पानी से कोई क्षेत्र सिंचित नहीं किया गया क्योंकि कैनाल के टेल एंड पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था।
6.	2.2.12.1 एल.ए.ओ. से शेष राशि की अवसूली	➢ तीन मंडलों[2] के संबंध में केवल ₹ 1.12 करोड़ की राशि वापस प्राप्त की गई। ➢ एम.पी.डब्ल्यू.ए. में एल.ए.ओ. को अग्रिम भुगतानों की राशि प्रस्तुत करने की स्थापित प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया।
7.	2.2.12.2 भूमि का इंतकाल नहीं किया गया	➢ शामिल किए गए 18 मंडलों में से केवल चार मंडलों[3] के संबंध में विभाग के पक्ष में भूमि का इंतकाल (197.36 एकड़) किया गया।
8.	2.2.13.1 स्टॉफ की कमी	➢ विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों के विवरण स्टाफ की भर्ती हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई। ➢ स्टाफ की कमी 2012 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 41 प्रतिशत हो गई।
9.	2.2.14.5 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार न करना	➢ वर्ष 2013-14 तक के प्रशासनिक प्रतिवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए। ➢ वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

1 (i) घग्गर नदी पर देवां वाला डैम का निर्माण, (ii) घग्गर नदी पर डंगराणा डैम का निर्माण, (iii) मेवात सिंचाई स्कीम तथा (iv) अंबाला सिंचाई स्कीम।

2 सिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी (₹ 48.92 लाख), निर्माण मंडल-28, जींद (₹ 46.46 लाख) तथा सफीदों जल सेवाएं मंडल, सफीदों (₹ 17.10 लाख)।

3 भिवानी जल सेवाएं मंडल, भिवानी (93.58 एकड़), निर्माण मंडल-28, जींद (59.5088 एकड़), सफीदों जल सेवाएं मंडल, सफीदों (6.046 एकड़) तथा पानीपत जल सेवाएं मंडल, पानीपत (38.23 एकड़) कुलः 197.36 एकड़।

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद 3.17.3.3 ; पृष्ठ 115)

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण जहां सभी अभिप्रेत क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति थी

क्र. सं.	अनुच्छेद का सार	की गई कार्रवाई/आगे लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	2.2.8.5 ₹ 1.94 करोड़ के अनुदान का उपयोग न करना	➢ ₹ 8.50 करोड़ के अव्ययित शेष में से कार्यों पर ₹ 7.02 करोड़ खर्च किए गए। ➢ ₹ 1.48 करोड़ की शेष राशि दिसंबर 2012 में खजाने में जमा की गई।
2.	2.2.8.6 एच.आई.आर.एम. आई. को अधिक अनुदान जारी करना	➢ अव्ययित शेष का मुख्य भाग समायोजित किया गया। ➢ विभाग ने एच.आई.आर.एम.आई. द्वारा निधियों की आवश्यकता का उद्देश्य निर्धारण तथा तद्नुसार अनुदान जारी करके मामले का समाधान किया।
3.	2.2.8.7 निविदा दस्तावेज फीस का संशोधन न करना	➢ सितंबर 2014 में दरें संशोधित की गई।
4.	2.2.9.3 ओट्टू लेक कार्य का विभाजन	➢ मामले की जांच की गई तथा 34 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया। ➢ जांच के बाद सभी अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए चार्ज सरकार द्वारा हटा लिए गए थे।
5.	2.2.9.3 ओट्टू लेक ओट्टू लेक की उपजाऊ भूमि की बिक्री न करना	➢ मामले की जांच की गई तथा 34 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया। ➢ जांच के बाद सभी अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए चार्ज सरकार द्वारा हटा लिए गए थे।
6.	2.2.11.2 प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन	➢ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमानों को संस्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद 3.18; पृष्ठ 117)

अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजे के रूप में किए गए परिहार्य भुगतान के विवरण

(क) कार्यकारी अभियंता, जुई वाटर सेवा मंडल, भिवानी द्वारा किए गए परिहार्य भुगतान

विवरण	अवार्ड नंबर	किए गए भुगतान	नवंबर 2010 से पहले देय राशि	परिहार्य भुगतान
4.54375 एकड़ भूमि की लागत	1 और 2 दिनांक 31 मार्च 2015	54,52,500	36,35,000	18,17,500
अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार 100/30 प्रतिशत	-सम-	54,52,500	10,90,590	43,61,910
कुल		**1,09,05,000**	**47,25,590**	**61,79,410**
उपर्युक्त अवार्ड के अनुसार ब्याज		17,04,815	--	--
अवार्ड की कुल राशि		**1,26,09,815**	**--**	**--**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

(ख) कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल संख्या 2, गुड़गांव द्वारा किए गए परिहार्य भुगतान

भूमि का विशिष्ट क्षेत्र	अवार्ड नंबर	किए गए भुगतान	देय राशि यदि भुगतान समय पर 1999-2000 की दरों पर किए गए थे (अर्थात् ₹ 2.40 लाख/एकड़)	परिहार्य भुगतान
0.38125 एकड़ भूमि की लागत	1 दिनांक 26-11-2014	30,50,000	91,500	29,58,500
अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार 100/30 प्रतिशत	-सम-	30,50,000	27,450	30,22,550
कुल		**61,00,000**	**1,18,950**	**59,81,050**
उपर्युक्त अवार्ड के अनुसार ब्याज		6,67,825	--	--
अवार्ड की कुल राशि		**67,67,825**	**--**	**--**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

कुल परिहार्य भुगतान = ₹ 61.79 लाख + ₹ 59.81 लाख = ₹ 121.60 लाख।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः अनुच्छेद 3.24; पृष्ठ 129)

नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जिले के नाम	क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	अंबाला	1	अंबाला -I	1	जगोली
				2.	बिसनगढ़
		2.	नारायणगढ़	3.	नादूवाली
2	भिवानी	1	सिवानी	4	माटानी
		2	कैरू	5	खेरपुरा
				6	पोखारवास
		3	दादरी -II	7	बादल
3	गुड़गांव	1	फारूखनगर	8	खनदेवला
4	हिसार	1	हांसी-I	9	धानी पुरिया
		2	हांसी -II	10	बास अजमशाहपुर
		3	नारनौंद	11	घरी अजीमा
5	झज्जर	1	बहादुरगढ़	12	इसमाईलपुर
		2	झज्जर	13	दादरी टोइ
				14	बिरदाना
		3	साहलावास	15	समासपुर माजरा
				16	धनीरवास
		4	मातनहेल	17	ससरौली
6	जींद	1	जुलाना	18	डिवोराल
		2	पिल्लूखेड़ा	19	राजाना खौरद
7	करनाल	1	नीलोखेड़ी	20	बोरशाम
				21	बुधेरा
8	कुरूक्षेत्र	1	थानेसर	22	आलमपुर
		2	इस्माइलाबाद	23	मलिकपुर
				24	गोरखा
9	महेन्द्रगढ़	1	नारनौल	25	दोहर कलां
10	मेवात	1	फिरोजपुर झिरका	26	गुजारनागला
		2	नगीना	27	गहगस
		3	पुन्हाना	28	लहरवाड़ी
		4	नूहं	29	मरोड़ा
		5	तावडू	30	चहलका
11	पंचकूला	1	मोरनी	31	बलादवाला
		2	बरवाला	32	तपरेन
		3	पिंजौर	33	खोखरा
12	पानीपत	1	इसराना	34	जोधन खुर्द
13	रोहतक	1	रोहतक	35	कटवारा
14	सिरसा	1	डबवाली	36	पन्ना
		2	ऐलनाबाद	37	धानी काहन सिंह
		3	नाथूसारी चोपटा	38	लुदेसन
		4	रानिया	39	खरियां
		5	ओढान	40	देसू मलकाना
15	सोनीपत	1	मुरथल	41	तिकोला
		2	गोहाना	42	सरगैथल
		3	गन्नौर	43	दुबेता
		4	सोनीपत	44	थारियां
16	यमुनानगर	1	रादौर	45	गुमथाला राव
				46	उनेरी
				47	दौलतपुर
		2	बिलासपुर	48	बिहता
		3	जगाधरी	49	दौलतपुर
		4	मुस्तफाबाद	50	गैंदापुरा

स्रोतः विभागीय अभिलेखों से संकलित डाटा।